भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2532
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- राष्ट्रीय बीज विधेयक, 2025
2532. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज विधेयक, 2025 तैयार करने के दौरान किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार छोटे किसानों, एफपीओ और सामुदायिक बीज उत्पादकों को इस विधेयक के विधायी पहलुओं से बाहर रखेगी; और
(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार पर कब्जा कर सकती हैं जिससे देश की संप्रभुता प्रभावित हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तथा किसानों के संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा समय-समय पर उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीज विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है।

इस विधेयक के प्रावधान किसानों और उनकी पारंपरिक किस्मों सहित अन्य किस्मों पर लागू नहीं होते हैं। यह विधेयक पौधा किस्म और कृषक अधिकार सँरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुरूप किसानों के कृषि में संरक्षित बीजों को उगाने, बुआई, संरक्षित करने आदान-प्रदान करने और बिक्री करने के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किसानों, सामुदायिक बीज उत्पादकों, पारंपरिक और स्वदेशी बीज किस्मों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान उपलब्ध हैं।

इस विधेयक में बाजार में बिक्री की जाने वाली सभी किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण, बीज उत्पादक, बीज प्रसंस्करण इकाई और डीलर का पंजीकरण, पौध नर्सरी का पंजीकरण, आपातकालीन स्थिति में बीज बिक्री मूल्यों का विनियमन, बीजों के प्रदर्शन का अनिवार्य लेबलिंग, साथी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण आदि के प्रावधान हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

वर्तमान में, बीज विधेयक, 2025 मसौदा पूर्व-विधायी परामर्श चरण में है और इस पर किसान संगठनों सहित हितधारकों से और अधिक टिप्पणी/सुझाव प्राप्त करने के लिए इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

*****